अध्याय VI

माल का गलतः वर्गीकरण

अभिलेखो की नमूना जाँच के दौरान (मई 2012 से अप्रैल 2014), हमने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न आयातित माल का गलत-वर्गीकरण किया जिसके कारण ₹ 9.99 करोड़ के सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण/ उद्ग्रहण नहीं हुआ। इन पर आने वाले पैराग्राफों में चर्चा की गई एवं माल के गलत वर्गीकरण के छ मामले अनुबद्ध छ में सूचीबद्ध हैं।

मोटर साईकिल के पुर्जों को लौह अथवा इस्पात की वस्तुओं के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया।

6.1 मोटरसाइकिल के भाग शीर्षक सं. 87.11 से 87.13 के वाहनों के भागों तथा एक्सेसरीज के रूप में सीमाशुल्क शीर्षक (सीटीएच) 871410 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी के लिए निर्धारण योग्य हैं।

मै. डायडो इण्डिया प्रा. लि. ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से ₹ 24.88 करोड़ के मूल्य पर थाइलैण्ड से 'मोटरसाइकिल चैन तथा स्परोकेट्स तथा उनके भाग', की 57 खेप आयात की (अक्टूबर 2013 से मई 2014)। आयातित माल को सीटीएच 73151100 तथा 84839000 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था तथा 2.5 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत पर आधारभूत सीमाशुल्क लगाने के बाद (31 दिसम्बर 2013 तक) तथा दिनाँक 1 जून 2011 (संशोधित) की अधिसूचना सं. 46/2011 की क्रम सं. 968 तथा 1284 के अनुसार शुल्क की 'शून्य' दर तथा 5 प्रतिशत (1 जनवरी 2014 से) पर मंजूर किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मोटर साइकिल चैन तथा स्परोकेट्स तथा इसके भाग मोटर साईकिल के अन्य भागों तथा एक्सेसरीज के रूप में सीटीएच 8714090 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थे जो 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी आकर्षित करते हैं। अतः आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 2.66 करोड़ की राशि के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

यह मामला अप्रैल/मई/सितम्बर 2014 में विभाग/मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

मोटरपार्टस को तरल अथवा गैसों के प्रवाह, स्तर तथा दबाव को मापने एंव जाँच करने के लिए उपकरणों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

6.2 भाग एंव एक्सेसरीज यदि एक विशिष्ट प्रकार की मशीन, उपकरण अथवा उपस्कर के साथ अथवा समान शीर्षक की कई मशीनों, उपकरणों अथवा उपस्करो के साथ अकेले अथवा मुख्यत: प्रयोग होने हेतू उपयुक्त है तो उस प्रकार की मशीन, उपकरणों अथवा उपस्करों के साथ वर्गीकृत किया जाने हैं (सीमाशुल्क की धारा XVIII की टिप्पणी 2(बी))।

'हॉट फिल्म एयर मास मीटर' वैधानिक उत्सर्जन सीमाएँ सुनिश्चित करने हेतु सटीक उर्जा आवश्यकता, वायु दाब तथा वायु तापमान के लिए इन्जेक्शन करंट की मात्रा संमजित करने तथा सक्षम करने के लिए मोटर वाहनों के आन्तरिक दहन ईंधन में एयर मास फलो को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चूंकि वे मुख्यत: अध्याय 87 के मोटर वाहनों में प्रयोग किये जाते हैं, इसलिए उक्त माल सीटीएस 8708 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी उद्ग्रहणीय है।

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के बीच मै. बोश लि. द्वारा 'हाट फिल्म एयर मास मीटर' की पीचासी खेप आयात की गई थीं। इनमे से, 45 खेप तरल अथवा गैसों के प्रवाह, स्तर, दाब अथवा अन्य परिवर्तनों को मापने एवं जाँच करने हेतु अन्य उपकरण अथवा उपस्कर' के रूप में सीटीएच 90268090 के अन्तर्गत तथा शेष 40 'अन्य स्वचालित विनियमन अथवा नियंत्रक उपकरणों एवं उपस्करों' के रूप में सीटीएच 90328990 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी तथा लागू होने योग्य 10 प्रतिशत के बजाए 'शून्य' अथवा 7.5 प्रतिशत पर बीसीडी लगाया गया था। माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्परूप ₹ 1.82 करोड़ की सीमा तक शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह अक्टूबर 2014 में मंत्रालय को बताया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

शल्य संबंधी सूक्ष्मदर्शी को अन्य उपकरण तथा यंत्र के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

6.3 शल्य संबंधी सूक्ष्मदर्शी तथा उसकी एक्सेसरीज सीमाशुल्क शीर्षक (सीटीएच) 9011 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है तथा क्रमश 7.5/12 प्रतिशत की दर से बीसीडी/सीवीडी उदग्रहणीय है।

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के दौरान एयर कारगो कम्पलैक्स (एसीसी) के माध्यम से आयातित शल्य संबंधी सूक्ष्मदर्शी की पचपन खेप चिकित्सा, शल्य संबंधी, दन्त्य अथवा पशुचिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त अन्य उपकरण एवं यंत्र के रूप मै सीटीएच 90185090/90189099 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थीं तथा दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा क्रम सं. 473 के अन्तर्गत 5 प्रतिशत की दर से बीसीडी हेतु निर्धारित की गई तथा क्रमश 7.5/12 प्रतिशत की लागू होने योग्य बीसीडी/सीवीडी दर की बजाए दिनाँक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 सी एक्स के तहत सीवीडी से छूट भी दी गई थी। गलत वर्गीकरण के परिणामस्परूप ₹ 1.19 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे नवम्बर 2013/सितम्बर 2014 में विभाग/मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

ब्रश कट्टर को तरल को फैलाने अथवा छिड़कने/कटाई अथवा गहाई मशीनरी हेतु मशीनी यंत्र के रूप से गलत वर्गीकृत किया गया

6.4 ब्रश कट्टर एक हल्के धातू फ्रेम पर लगी अपने आन्तरिक दहन ईंन्जन वाली उठाने योग्य मशीन तथा कटिंग उपकरणों से सुसज्जित होने के नाते शब्दावली की सुसंगत प्रणाली(एचएसएन) के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार शीर्षक 8433 से उनके अपवर्जन के मद्देनजर सीमाशुल्क टैरिफ की टैरिफ मद "84672900" के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं। विषय वस्तु दिनाँक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 18/2012 सीई की क्रम सं. 75 के अनुसार 12 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त सीमा शुल्क के लिए उद्ग्रणीय है।

चैन्नै (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से मै. फोगर्स इण्डिया प्रा. लि. तथा पाँच अन्यों द्वारा आयातित विभिन्न माडल के ब्रश कट्टर/रीपर/ग्रास कट्टर की सत्रह खेपों (मई 2012 तथा मार्च 2013) को कृषि/बागबानी/कटाई मशीन के

रूप में मानते हुए सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न शीर्षकों जैसे ''8424/8433'' के अन्तर्गत वगीकृत किया गया था) आयातित माल ग्रास कटिंग मशीनरी होने के नाते उपरोक्त एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पणियों के मद्देनजर सीटीएच 8467 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय था।

गलत वर्गीकरण के परिणामस्परूप ₹ 87.33 लाख के शुल्क का कम संग्रह हुआ।

इसे बताये जाने पर, मंत्रालय ने दो आयातकों (मै. रेखा एग्रीप्लस लि., मै. वेंकटेश्वरा इजि. वर्क्स) से ₹ 2.22 लाख तथा ₹ 0.31 लाख के ब्याज की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014) तथा मै. ग्रीव्ज कॉटन लि. के संबंध में ₹ 17.70 लाख की माँग की पुष्टि की। शेष पाँच आयातकों के संबंध में वसूली प्रतीक्षित है। (जनवरी 2015)।

गियर्स तथा गियरिंग के रूप में गलत वर्गीकृत मोटर वाहनों के भाग एवं एक्सेसरीज

6.5 सीमाशुल्क टैरिफ की धारा XVII के लिए टिप्पणी 2(ई) के अनुसार, केवल वही भाग एवं एक्सेसरीज जो शीर्षक 8483 के ईंजन अथवा मोटरों के मौलिक भाग बनते है, को इस धारा से बाहर किया गया है, वे इस धारा के माल के रूप में अभिज्ञेय हो अथवा नहीं। अतः अन्य सभी भाग, यदि वे शीर्षक 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के साथ अकेले अथवा मुख्यतः प्रयोग करने के लिए उपयुक्त होने के नाते अभिज्ञेय है, सीमाशुल्क टैरिफ के शीर्षक 8708 के अन्तर्गत धारा XVII के तहत वगीकृत रहेंगे तथा 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी के लिए उदग्रहणीय होगे।

मै. कारारो इण्डिया प्रा. लि. एवं मै. जेटेक्ट सोना आटोमोटिव इण्डिया प्रा.लि. ने जेएनसीएच, नावाशवा/आईसीडी तुगलकाबाद के माध्यम से 'टोरक्यू कन्वर्टर/गियर्स, रिडक्शन पार्ट्स (आटोमोटिव स्टीयरिंग के भाग)' की 66 खेप आयात की (फरवरी 2010 से मार्च 2014)। आयातित माल सीटीएच 8708 के बजाय ट्रॉंसमिशन शाफ्ट तथा गियर्स/गियरिंग के रूप में सीटीएच 84834000/87089400 के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था तथा 10 प्रतिशत के बजाए 7.5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाया गया। गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 73.99 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

जनवरी/सितम्बर 2014 में विभाग/मंत्रालय को यह बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

रेलवे अनुरक्षण अथवा मरम्मत वाहनों को रेलवे माल वैन एवं वैगनों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

6.6 रेलवे अथवा ट्रामवे अनुरक्षण अथवा मरम्मत वाहन, वेशक स्वयं से चलने वाले हो अथवा नहीं (उदाहरण के लिए कार्यशालाएँ, क्रेन, बालास्ट टैम्पर, टैक लाइनर्स टेस्टिंग कोच एवं ट्रैक जाँच वाहन इत्यादि) 12 प्रतिशत की दर से सीवीडी आकर्षित करते हुए सीटीएच 8604 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं।

मै. प्रतिभा इण्डस्ट्रीज लि. एवं मै. एचसीसी सैमसग जेवी ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से ₹ 8.69 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य पर 'फ्लोर शाफ्ट कार/सेगमेन्ट कार' इत्यादि की आठ खेप आयात की थी (सितम्बर 2013 से नवम्बर 2013)। आयातित माल को सीटीएच 86069900 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था तथा 12 प्रतिशत के बजाए 6 प्रतिशत की दर पर सीवीडी हेतु निर्धारित किया गया।

आयातित माल सुरंग बनाने के यंत्र के लिए बनी रेल बाउन्ड सेगमेन्ट कारे तथा फ्लोर शाफ्ट कारें थी तथा योग्य वर्गीकरण सीटीएच 8604 था तथा 12 प्रतिशत की दर पर सीवीडी आकर्षित करता है। अत: आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्परूप ₹ 61.44 लाख की राशि के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

ये तथ्य जनवरी/सितम्बर 2014 में विभाग/मंत्रालय के संज्ञान में लाये थे, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

खाघ प्रोसेसिंग मशीन को खाघ अथवा पेय के विनिर्माण हेतु अन्य मशीन के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

6.7 मशीनरी, संयंत्र अथवा प्रयोगशाला उपकरण, जो तापमान मे परिवर्तन वाली एक प्रक्रिया जैसे गरम करना, पकाना, भूनना इत्यादि द्वारा सामग्री के प्रशोधन के लिए विद्युत से गरम किया जाता हो अथवा नही, घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीनरी अथवा संयंत्र से अलग, सीटीएच 8419 के तहत वर्गीकरणीय है तथा 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी हेतु उद्ग्रहणीय है।

मै. बालाजी वेफर्स प्रा. लि. तथा अन्य ने जेएनसीएच, नावा शावा, मुम्बई के माध्यम से 'फूड प्रोसेसिंग मशीनरी स्नैक फ्राईंग सिस्टम' की तीन खेप आयात (जून/नवम्बर 2013) की। माल पर लागू होने वाली 10 प्रतिशत के बजाए 5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी लगाते हुए 'खाद्य अथवा पेय के औधोगिक निर्माण हेतु अन्य मशीनरी' के रूप में सीटीएच 84388090 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। अत: गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 52.09 लाख तक शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह दिसम्बर 2013/अक्टूबर 2014 में विभाग/मंत्रालय को बताया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

राईस मिल रबर रोलर को राईस मिल मशीनरी के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

6.8 'राईस मिल रबर रोलर' को सीटीएच 40169990 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है एवं वियतनाम से आयात होने पर दिनाँक 1 जनवरी 2012 की अधिसूचना सं. 46/2011-सीमा (क्रम सं. 534 परिशिष्ट-1) के अन्तर्गत 7 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी हेतु उदग्रहणीय हैं। सीबीईसी (बोर्ड) ने दिनाँक 11 जनवरी 1990 के अपने परिपत्र सं. 2/90-सीएक्स 3 में भी स्पष्ट किया है कि 'राईस मिल में प्रयुक्त 'रबर रोल्स' का योग्य वर्गीकरण सीटीएच 4016 के तहत है। इसके अतिरिक्त, दिनाँक 17 मार्च 2012 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 12/2012 (क्रम सं. 155) ने स्पष्ट रूप से सीटीएच 4016 के अन्तर्गत 'राईस मशीनरी' के लिए 'राईस रबर रोल्स' का वर्गीकरण उल्लिखित किया है।

मै. पीआरएस ट्रेडकॉम तथा चार अन्य ने जेएनसीएच, मुम्बई/चेन्नै (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से 'राईस मिल रबर रोलर' की 19 खेप आयात की (मई 2012 से फरवरी 2013)। आयातित माल को राईस मिल मशीनरी के रूप में सीटीएच 84378090 के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था तथा लागू होने योग्य 7 प्रतिशत की दर के बजाए अधिसूचना सं. 46/2011-सीमा (क्रम सं. 1170) के अन्तर्गत लाभ अनुमत करते हुए 2.5 प्रतिशत की रियायती दर पर बीसीडी लगाया गया। अत: आयातित माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 44.07 लाख तक के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

जनवरी/सितम्बर/अक्टूबर 2014 में विभाग को बताये जाने पर, चेन्नै सीमाशुल्क सदन प्राधिकरियों ने मै. श्रीनिवास मिल स्टोर्स को कारण बताओ ज्ञापन जारी किया। अन्य आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)। मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2015)।

पशु खाद्य सामग्री को मानव प्रयोग हेतु अनुचित मत्स्य भोजन के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया

6.9 अध्याय 23 के अन्तर्गत दिये गए एचएसएन नोट के अनुसार, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 2309 में पशु चारे में प्रयुक्त एक प्रकार के उत्पाद शामिल हैं, जो अन्यत्र कही विनिर्दिष्ट अथवा शामिल नहीं हैं जो वनस्पत्ति अथवा पशु सामग्रियों की इस सीमा तक प्रोसेसिंग के द्वारा प्राप्त किए गए है कि उन्होंने मूल सामग्री के आवश्यक अभिलक्षणों को खो दिया है। ''सिक्विड लीवर पाउडर जलीय खाद्य (विशेषत: सींगा) के लिए एक उच्च गुणवत्ता संघटक है जो सिक्विड लीवर पेस्ट तथा अच्छी तरह से साफ किए सोयाबीन के आटे को बराबर भागों में मिलाकर तैयार किया जाता है, उचित रूप से सीटीएच 2309 के तहत बर्गीकरणीय है तथा 30 प्रतिशत पर बीसीडी लगाने योग्य हैं।

चेन्नई (समुद्र) आयुक्तालय के माध्यम से मै. गोदरेज एग्रोवेट लि. एवं तीन अन्यों द्वारा ''सिक्विड लीवर पाउडर'' की चार खेपों का आयात किया गया (अप्रैल से नवम्बर 2012) जो ''मानव उपयोग के लिए अनुचित अन्य मतस्य भोजन'' के रूप में सीटीएच 23012019/23012011/23012090 के तहत वर्गीकृत की गई थी तथा दिनाँक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा (क्रम सं. 99) के अनुसार 30 प्रतिशत की बजाए 5 प्रतिशत पर आधारभूत सीमा शुल्क के लिए निर्धारित की गई।

आयातित मद पोषक तत्वों अर्थात् पशुओं से प्राप्त किए गए उर्जा पोषक तत्व तथा फलीदार वनस्पतियों से प्राप्त किए गए शरीरवर्धक पोषक तत्वों (प्रोटीन) का मिश्रण होने के नाते ''पशु चारे में प्रयुक्त एक प्रकार की अन्य सामग्री'' के रूप से सीटीएच 23099090 के तहत वर्गीकरण की पात्र है तथा 30 प्रतिशत पर आधारभूत सीमा शुल्क लगाने योग्य हैं। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 34.04 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते समय आयातकों में से एक (मै. अवन्ति फीड्स लि.) को एक रक्षात्मक माँग जारी की। मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2015)।